भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3686

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

एसडब्ल्यूएएमआईएच की स्थिति

3686: श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष खिड़की से सस्ते और मध्यम आय वाले आवास (एसडब्ल्यूएएमआईएच) योजना की निवेश निधि के अंतर्गत संकटग्रस्त आवासीय परियोजनाओं में पचास हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और चाबियां मकान खरीदारों को सौंप दी गई हैं जबकि अन्य चालीस हजार इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान से मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में 15000 करोड़ रुपए की एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि-2 की स्थापना करने का विचार है जिसका उद्देश्य अन्य एक लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश के एलुरु जिले सहित देश भर में एसडब्ल्यूएएमआईएच के अंतर्गत जिला/राज्यवार आबंटित, जारी, स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों सहित इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के एलुरु जिले सहित देश भर में एसडब्ल्यूएएमआईएच के अंतर्गत लाभार्थियों की जिला/राज्यवार कुल संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में एसडब्ल्यूएएमआईएच के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान/अध्ययन शुरू किए हैं, यदि हां, तो विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि-I द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत 50,000 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और या तो अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया गया है या प्राप्त कर लिया गया है। दिनांक 28 फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, यह निधि अपने समयकाल के दौरान 40,000 अतिरिक्त इकाइयों को पूरा करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

(ख): जी, हाँ;

(ग) और (घ): एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि-I के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दिनांक 7 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आबंटित, जारी, स्वीकृत, उपयोग की गई निधियों और घरों की संख्या का क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	परियोजनाएं	वित्त पोषित घर	स्वीकृत निवेश	संवितरित धनराशि	मोचन की गई धनराशि	बक़ाया धनराशि
	(सं.)	(सं.)	(रुपये करोड़ में)	(रुपये करोड़ में)	(रुपये करोड़ में)	(रुपये करोड़ में)
उत्तर प्रदेश	20	21,801	3,233.4	1,979.2	561.2	1,418.0
हरियाणा	22	16,145	2,186.8	1,636.9	633.1	1,003.7
महाराष्ट्र	47	19,730	3,715.6	2,603.1	869.8	1,733.3
राजस्थान	13	7,721	598.5	478.3	140.8	337.6
तेलंगाना	6	5,936	1,063.0	506.4	43.4	463.0
आंध्र प्रदेश*	2	970	226.7	146.1	-	146.1
कर्नाटक	5	3,197	746.3	436.5	342.5	94.0
पंजाब	3	2,549	439.4	168.8	-	168.8
तमिलनाडु	5	1,914	340.7	204.6	100.1	104.5
केरल	1	70	7.0	7.0	7.0	-
उत्तराखंड	2	1,763	225.0	215.0	127.5	87.5
गुजरात	1	259	60.0	52.0	1.4	50.6
कुल	**127**	**82,055**	**12,842**	**8,434**	**2,827**	**5,607**

* आंध्र प्रदेश में काजा और विजाग क्षेत्रों में एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि का निवेश किया गया है।

एलुरू जिला और मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं किया गया है।

(ङ): एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि-I को व्यापक जागरूकता और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है। इन चैनलों में उद्योग कार्यक्रम और सम्मेलन शामिल हैं, जिनमें कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई), नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) और रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर (आरआईसीएस) जैसे निकायों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों, वेबिनारों और सम्मेलनों में वक्ताओं के रूप में भागीदारी शामिल है। इसके अतिरिक्त, एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल) ने एसवीएल वेबसाइट सहित अपने स्वयं के प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हुए विभिन्न सेमिनारों और सत्रों का आयोजन किया तथा उनमें भाग लिया है। इसके अलावा, निधि के संबंध में जानकारी को प्रसारित करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय का भी उपयोग किया गया है।

****